प्रेस के लिए सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 86/2024)

तत्काल प्रकाशन हेतु

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

'भू-आधारित प्रसारकों के लिए विनियामक ढांचा' पर परामर्श पत्र पर टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए समय का विस्तार

नई दिल्ली, 14 नवंबर, 2024 - भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने हितधारकों की टिप्पणियों/प्रति-टिप्पणियों के लिए 18 अक्टूबर, 2024 को 'भू-आधारित प्रसारकों के लिए विनियामक ढांचा' पर परामर्श पत्र जारी किया था। हितधारकों से लिखित टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 नवंबर, 2024 और प्रति-टिप्पणी, यदि कोई हो, 29 नवंबर, 2024 तय की गई थी।

2. हितधारकों ने 'भू-आधारित प्रसारकों के लिए विनियामक ढांचा' पर परामर्श पत्र पर अपनी टिप्पणियां भेजने के लिए समय बढ़ाने की मांग की है। तदनुसार, लिखित टिप्पणियां जमा करने की अंतिम तिथि 22 नवंबर, 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। प्रति टिप्पणियां, यदि कोई हों, 6 दिसंबर, 2024 तक भी प्रस्तुत की जा सकती हैं। आगे और समय बढ़ाने के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में ईमेल: advbcs-2@trai.gov.in और jtadv-bcs@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री दीपक शर्मा, सलाहकार (बी एंड सीएस) से दूरभाष नंबर: +91-11-20907774 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह./-

(अतुल कुमार चौधरी)
सचिव, भादूविप्रा